बनाम

नं.

अज अदालत

विषय मुकदमा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
15/5/25	पक्षकारान उपस्थित। अभिभाषक वादी द्वारा 8 9 7 की तामील [illegible] आदि होकर पत्रावली [illegible] हेतु [illegible] दि. 6/5/25 को पेश हो। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट [illegible]
[illegible]	पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 151 CPC पेश किया। जवाब हेतु प्रतिवादी ने अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते जवाब बहस हेतु दिनांक 27/5/25 को पेश हो। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट [illegible]
27/5/25	पक्षकारान उप. अधि. वादी द्वारा जवाब/बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस हेतु दि. 1/7/2025 को पेश हो। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट [illegible]
01/07/25	पक्षकारान उप. जवाब/बहस दरख्वास्त हेतु अवसर चाहा। आइंदा आवश्यक रूप से जवाब पेश करें। पत्रावली पूर्ववत दि. 6/8/25 को पेश हो। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

6/8/25

वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादी के प्रक्रम पर प्रतिवादी संख्या 8 की मृत्यु होने पर वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या - 8 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 17/5/25 को पेश किया गया था जिस प्रार्थना पत्र में वर्णित विधिक वारिसान को नोटिस जारी किये जिस पर प्रतिवादी 8/1, 8/3, 8/4, 8/5 व 8/6 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध दिनांक 18/7/2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। मात्र 8/2 राजू व 8/7 सतरो की तामील शेष रही। प्रतिवादी 8/2 के संबंध में वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 6/8/25 को आवेदन पेश कर राजू की मृत्यु होना जाहिर किया गया व राजू के विधिक वारिसान को नोटिस जारी करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का कोई खण्डन शेष प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादी 8/7 सतरो व प्रतिवादी 8/2 राजू के विधिक वारिसान को नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 21/8/25 को पेश हो।

S/N तामील जारी

सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
[illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/8/2025	अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 8/7 सतरा व 8/2 राजू के विरुद्ध वारिसान के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। रुक्त पत्रकार उपस्थित नहीं है। पत्रावली वास्ते उचित आदेश दिनांक 30/8/25 को पेश हो। न्यायाधीश एवं ... मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ... (सीकर)
30/8/25	अधिवक्ता वादी उपस्थित।

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत ....

किशनाराम

मिस्ल मुकदमा .... बनाम रूपनाथ वगै. .... मुकाम ....

प्रकरण संख्या ...... / ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 30.8.2025	
	वादी के अधिवक्ता उपस्थित। ~~पक्षकारान~~ प्रतिवादी व उनके अधिवक्तागण अनुपस्थित। अभिभाषकगण बार संघ के आव्हान पर कथित मांगों के सम्बन्ध में न्यायालय में उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। अभिभाषकगण द्वारा किये गये कार्य स्थगन / हड़ताल के कारण पत्रावली में प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरीश उप्पल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2003(2) एस.सी.सी. पेज 45, ए.आई.आर 2003 एस.सी. 739 के मामले में अधिवक्तागण द्वारा किये गये न्यायिक कार्य स्थगन / हड़ताल, जो एक दिन से अधिक का हो, को अवैधानिक / अनैतिक करार दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप यदि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती है तो इसका तात्पर्य अधिवक्तागण द्वारा की गई गैर कानूनी कार्यवाही को न्यायालय द्वारा सहयोग किया जाना माना जावेगा। इस बाबत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परिपत्र क्रमांक पी.आई / 02 / 2015 दिनांक 08.04.2015 भी जारी किया हुआ है। लिहाजा प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए व पक्षकारों के हित प्रतिकूलतः व सारतः प्रभावित न हों, एक अवसर पक्षकारान / अधिवक्तागण को उपस्थिति हेतु दिया जाना उचित है। आयंदा पक्षकारान / अधिवक्तागण के उपस्थित नहीं आने पर पत्रावली में प्रभावी आदेश पारित किया जावेगा।	
	पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 08-09-2025 को पेश हो।	
	सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट [illegible]	